सम्बन्ध में भी आवश्यक विचार-विमर्श कर निर्णय लिए जाते हैं।

व्यापार बंधु

इस समिति की बैठक भी उद्योग बंधु की बैठक के साथ ही की जाती है तथा वही विभाग एवं उद्यमी इस बैठक में भी भाग लेते हैं। इस समिति के सदस्य/सचिव व्यापार कर अधिकारी होते हैं।

सिंचाई बंधु

सिंचाई से सम्बन्धित मामलों के निराकरणार्थ जनपद में सिंचाई बंधु समिति का गठन किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष शासन द्वारा नामित व्यक्ति होता है। इसके अतिरिक्त शासन द्वारा 7 अन्य सदस्य भी नामित किए जाते हैं। समिति के संयोजक अधिशासी अभियन्ता सिंचाई होते हैं। समिति के अन्य सदस्यों में मा० सांसद, विधायक एवं समस्त ब्लाक प्रमुख सम्मिलित रहते हैं।

समिति की बैठक सामान्यतया प्रत्येक माह की तृतीय/चतुर्थ शनिवार को होती है जिसमें जिले के समस्त सम्बन्धित अधिकारी प्रतिभाग करते हैं। समिति का मुख्य कार्य नहरों की समुचित सफाई का कार्य एवं रोस्टर के अनुसार नहरों का संचालन, नहरों के कुलाबों की व्यवस्था, सिंचाई शुल्क निर्धारण, नहरों के अंतिम टेलों तक पानी पहुँचाना आदि की समीक्षा करना होता है।

जिला बिजली अदालत

उद्देश्य – ऊर्जा क्षेत्र के सुधार कार्यक्रमों के अन्तर्गत बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान हेतु उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए प्रदेश के प्रत्येक जनपद में बिजली अदालत का गठन किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य विद्युत उपभोक्ताओं की विभिन्न समस्याओं का त्वरित निदान करना है।

कार्य - अदालत द्वारा उपभोक्ताओं की निम्नलिखित समस्याओं पर विशेष रूप से विचार किया जाता है –

(1) गलत/अधिक बिलिंग/बिलों का प्राप्त न होना।
(2) खराब मीटर का न बदला जाना/बदलने में विलम्ब होना।
(3) विद्युत विच्छेदन एवं पुन: संयोजन।
(4) नये संयोजनों में अप्रत्याशित विलंब।
(5) बकाये का भुगतान आदि।

बिजली अदालत रु० 5 (पाँच) लाख की सीमा तक के विवादों को निपटाने के लिए अधिकृत है। इस अदालत को घरेलू एवं वाणिज्यिक बत्ती-पंखा, निजी नलकूप एवं 25 (पच्चीस) हार्स पावर तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं की समस्याओं पर पावर कारपोरेशन के नियमों के अंतर्गत अंतिम निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है।

बिजली अदालत की प्रक्रिया – उपभोक्ताओं को अपनी समस्या लिखित रूप में आवश्यक बिल, जमा रसीद आदि की छाया प्रति संलग्न करके प्रत्येक माह की 15 ता० तक बिजली अदालत के सदस्य/सचिव अधिशासी अभियन्ता (विद्युत) कार्यालय देवरिया को उपलब्ध करनी होती है। संबंधित अभियन्ता को इन शिकायतों पर 10 दिन के अन्दर सुनवाई के पूर्व अदालत को अपनी आख्या प्रस्तुत करनी पड़ती है तथा ये अदालत की बैठक के दिन अदालत के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करते हैं। देवरिया बिजली अदालत की बैठक प्रत्येक माह के प्रथम रविवार को सुबह 11 बजे से नलकूप निरीक्षण गृह पर होती है। अदालत के दिन उपभोक्ता या उसका प्रतिनिधि सभी आवश्यक मूल साक्ष्यों के साथ उपस्थित होकर अपनी समस्याओं को अदालत के समक्ष विस्तृत रूप से रखता है तथा अदालत दोनों पक्षों को सुनकर अपना निर्णय एवं आदेश तुरंत पारित कर उपभोक्ता की समस्या का सही रूप से समाधान करती है।

विशेष : (1) इन अदालतों में समय-समय पर माननीय बिजली मंत्री के भी भाग लेते रहने की व्यवस्था है।

(2) अदालत अपने विद्युत उपभोक्ताओं से अपेक्षा रखती है कि –

(क) वे अपनी उपभोग विद्युत यूनिट की धनराशि समय-समय जमा करते रहें।
(ख) विद्युत चोरी से न सिर्फ स्वयं बचें बल्कि औरों को भी ऐसा न करने के लिए प्रेरित करें। विद्युत चोरी एक संज्ञेय अपराध है।
(ग) उपभोक्तागण अदालत का सहयोग करें, अदालत उनकी समस्या का निराकरण तुरंत करेगी।
(घ) एक जागरूक नागरिक बनें, अपने कर्तव्य एवं क्षमता का सदुपयोग राष्ट्रहित में करें।